भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 343
9 दिसंबर, 2022 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि में जल बचत पद्धतियों को अपनाना

343. **श्री आर.गिरिराजन:**
श्री एस.कल्याणसुन्दरम:
श्री एम. मोहम्मद अब्दुल्ला:
श्री हरभजन सिंह:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः-

(क) अन्य देशों की तुलना में कृषि कार्यों में पानी की खपत की दक्षता का ब्यौरा क्या है और देश में कृषि कार्यों में पानी की खपत की कम दक्षता के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार किसानों को कृषि और अन्य क्षेत्रों में जल बचत प्रौद्योगिकियों/पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने की योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): मई 2013 में प्रकाशित बारहवीं पंच-वर्षीय योजना के दस्तावेज के अनुसार, कुछ देशों में 45-60 प्रतिशत की तुलना में भारत में कृषि में जल उपयोग दक्षता लगभग 38 प्रतिशत है।

अल्प जल उपयोग दक्षता स्तरों की व्याख्या वाले दस्तावेज़ में केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा चिन्हित कारकों में नहरों और वितरण नेटवर्क के अल्प रखरखाव के परिणामस्वरूप उनके अंदर खरपतवार और वनस्पति उग आना, नहरों में गाद जमा होना, लाइनबद्ध नहरों में लाईनिंग को नुकसान पहुंचना, गाद के करण नहर खंडों में विकार आ जाना है, ढलानें क्षतिग्रत होना और गेटों तथा शटरों में जल रिसाव होना आदि शामिल है।

(ख) से (घ) : कृषि एवं किसान कल्याण विभाग देश में वर्ष 2015-16 से प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) नामक केंद्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित कर रहा है। पीडीएमसी सूक्ष्म सिंचाई अर्थात् ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। सूक्ष्म सिंचाई सटीक सिंचाई के माध्यम से

खेत स्तर पर दक्षतापूर्ण जल उपयोग में मदद करती है और साथ ही 'फर्टिगेशन' के माध्यम से उर्वरक उपयोग को कम करती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने लागत प्रभावी, स्थान विशिष्ट वैज्ञानिक प्रौद्योगिकियों का विकास किया है जैसे वर्षा जल संचयन एवं पुनर्चक्रण, सिंचाई तथा कृषि पद्धतियों हेतु सटीक प्रौद्योगिकियां, आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाना, पानी की जरूरत वाली फसलें जैसे लो लैंड राइस एवं गन्ने के बदले दलहन, तिलहन, मक्का उगाना और कृषि-वानिकी आदि। इसके अलावा, आईसीएआर इस संबंध में किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करता है और शिक्षित करने के लिए फील्ड प्रदर्शनों का आयोजन करता है।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा कार्यान्वित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) कार्यक्रम के तहत, लाइन्ड फील्ड चैनलों का निर्माण किया जाता है और जहाँ भी संभव हो सिंचाई दक्षता बढ़ाने के लिए सिंचाई प्रणाली को अंत तक जोड़ने के लिए भूमिगत पाइपलाइन नेटवर्क रखी जाती है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने सिंचाई, औद्योगिक और घरेलू क्षेत्र में पानी के दक्षतापूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने, विनियमन और नियंत्रण के लिए दिनांक 20.10.2022 को जल उपयोग दक्षता ब्यूरो (बीडब्ल्यूयूई) की स्थापना की है। यह ब्यूरो देश में सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, बिजली उत्पादन, उद्योगों आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जल उपयोग दक्षता में सुधार को बढ़ावा देने की सुविधा प्रदान करता है। राष्ट्रीय जल मिशन (एनडब्ल्यूएम) ने वर्ष 2019 में 'सही फसल' अभियान शुरू किया है जिसका उद्देश्य जल संकट वाले क्षेत्रों के किसानों को ऐसी फसलें उगाने के लिए प्रेरित करना है जो जल सघन नहीं हैं किंतु जल का दक्षतापूर्ण उपयोग करती हैं और आर्थिक रूप से लाभकारी, स्वास्थ्यवर्धक, पौष्टिक तथा एग्रो-क्लाइमेटिक-हाइड्रो विशेषताओं के अनुकूल हैं।

*****